-प्रेस नोट-

दिनांकः- 10.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11.50 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर/**अभियुक्त मुरसलीन पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को **मदरसे के पीछे वाला रास्ता कस्बा सरसावा के पास से** गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **11.50 ग्राम नाजायज स्मैक** बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध थाना सरसावा पर **मु0अ0सं0 320/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मै कम पढा लिखा हूँ,मजदूरी का कार्य करता हूँ व नशा करने का आदि हूँ।अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये व अधिक रूपये कमाने के लिये स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुरसलीन पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

11.50 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त मुरसलीन का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 117/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 76/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0स0 214/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0स0 320/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2. है0का0 1144 आकाश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3. है0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांकः 10.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान 01 नशा तस्कर/ अभियुक्त **समून पुत्र मारुफ निवासी ग्राम असगरपुर घिसरपडी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को स्पोर्ट कालेज जाटोवाला के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 135/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पिर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मै स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आसपास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा थो तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

समून पुत्र मारुफ निवासी ग्राम असगरपुर घिसरपडी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 30 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त समून का आपराधिक इतिहास-

1. मु**0**अ**0**स**0 106/2020** धारा **380/411** भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
2. मु**0**अ**0**स**0 108/20** धारा **379/411** भादवि थाना मिर्जापुर सपुर
3. मु**0**अ**0**स**0 150/2020** धारा **147/148/149/307/188/269** भादवि व **3 / 5 /8** गौवध अधि**0** थाना मिर्जापुर सहारनपुर
4. मु**0**अ**0**स**0 190/2020** धारा **2/3** गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. मु**0**अ**0**सं**0 37/24** धारा **4/25** आयुध अधि**0** थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 राहुल कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

2.हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

4.हेका0 391 योगेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर /अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 426 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व इसके कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.08.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त **1. सोनू पुत्र रिजवान निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 2. अनीश पुत्र रफीक निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को ग्राम मुजफ्फराबाद -कलसिया मार्ग से ग्राम भूलनी की ओर जाने वाले रास्ते पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 426 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 185/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हमें अक्सर पैसो की तंगी का सामना करना पडता है।अधिक रुपये कमाने के लिये हम चरस सस्ते दाम में खरीदकर सहारनपुर के आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आज जब हम दोनो चरस बेचने जा रहे थे पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. सोनू पुत्र रिजवान निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. अनीश पुत्र रफीक निवासी ग्राम फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 426 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 विजय सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 सजल कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हैड का0 130 नितिन थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. हैड का0 1190 अंशु सांगवान थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. हैड का01032 ललित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. हैका0 1188 आकाश थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक –10.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 एलईडी (42 इन्ची) व 3000/-रूपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.08.2025 को थाना सरसावा पर वादिया चन्द्रेश राव पुत्री चन्द्रभान निवासी टाइप – 2 , ब्लाक -6 जी -2 आवासीय परिसर राजकीय मेडीकल कालिज पिलखनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर मूल निवासी 25/9 जूही सफेद कालोनी कानपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से एक LED TV 42 इन्ची व 15 हजार रुपये नगद चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एंव चोरी गये सामान की बरामदकी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनारण करते हुए 01 शातिर चोर/ अभियुक्त **अनस पुत्र अनवर निवासी ग्राम भाऊपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को ग्राम पिलखनी से भाऊपुर को जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी हुयी एलईडी 42 इन्ची व 3000/- रुपये नगद बरामद हुए ।गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं मजदूरी का कार्य करता हूँ व नशा करने का आदि है। अपने नशे की लत को पूरा करने व अधिक रुपये कमाने के लिये मैं बंद पड़े मकान या दुकान से सामान चोरी कर सस्ते दाम मे बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। मैने दिनांक 06.08.2025 को सरकारी अस्पताल पिलखनी से एलईडी 42 इन्ची एमआई कम्पनी की मॉडल न0 L42M6-E1/2022 व कुछ रूपये चोरी किये थे। दिनांक 09.08.2025 को जब मैं चोरी गयी एलईडी 42 इन्ची एमआई कम्पनी को बेचने जा रहा था तो रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मेरे कब्जे से 01 एलईडी व 3,000/- रुपये नगर बरामद किये।कुछ रुपये मैंने अपने नशे की लत को पूरा करने में खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनस पुत्र अनवर निवासी ग्राम भाऊपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त अनस काआपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 08/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0स0 24/25 धारा 317(2)/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर सहारनपुर

3. मु0अ0स0 28/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0स0 408/23 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0स0 318/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- एलईडी 42 इन्ची (एमआई कम्पनी)
- 3000/- रुपये नगद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 चन्द्रपाल सिह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 361 मनोज कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1497 मोनू कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल, 01 स्कूटी व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 27.06.2025 को वादी श्री एजाज अहमद पुत्र अबरार अहमद निवासी चौकी सराय नखासा बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की स्कूटी एक्टिवा न0 UP11AC8385 गांधी पार्क के बाहर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश न में जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान वाहन चेरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त **1. रोहित सैनी पुत्र रतन सैनी निवासी ग्राम बुड्ढा खेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर 2. सौरभ गुप्ता पुत्र विजय शंकर गुप्ता निवासी लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, के०डी० सिंह बाबू स्टेडियम के पास थाना नवाबगंज जिला बाराबंकी हाल पता किराए की दूकान अनुज सैनी की फतेहपुर जट नवादा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर, 3. विशाल राणा पुत्र राजपाल निवासी भारी भाबसी थाना ननौता जिला सहारनपुर** को छोटी लाइन पर आईटीसी रोड की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी गयी स्कूटी एक्टिवा न0 UP11AC8385 एंव 01 मोटर साईकिल हीरो स्पेलेण्डर प्लस न0 UP11BS3912 के पुर्जे (सम्बन्धित मु०अ०सं० 364/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार) एंव HF डीलक्स मोटरसाइकिल न० UP 20 BX 7583 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना-सिडकुल जिला हरिद्वार,उत्तराखंड) बरामद हयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2),3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायाल के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने गिरफ्तार तीनो अभियुक्तगण ने एक स्वर मे बताया कि हम तीनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हमारे पास अक्सर पैसी की कमी रहती है। अधिक रुपये कमाने के लिये हम तीनो मिलकर दो पहिया वाहनो को चोरी कर सस्ते दाम में बेच देते हैं और मुनाफे को आपस में बराबर – बराबर बाँट लेते हैं। तीनो अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम तीनो ने मिलकर एक्टिवा स्कूटी हमने गांधी पार्क,सहारनपुर , 01 स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल मां जगदम्बा हॉस्पिटल ,दिल्ली रोड व 01 अन्य मोटरसाइकिल हरिद्वार से चोरी की थी। आज जब हम चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी को बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. रोहित सैनी पुत्र रतन सैनी निवासी ग्राम बुड्ढा खेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. सौरभ गुप्ता पुत्र विजय शंकर गुप्ता निवासी लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, के०डी० सिंह बाबू स्टेडियम के पास थाना नवाबगंज जिला बाराबंकी हाल पता किराए की दूकान अनुज सैनी की फतेहपुर जट नवादा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. विशाल राणा पुत्र राजपाल निवासी ग्राम भारी भाबसी थाना ननौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 स्कूटी एक्टिवा न0 UP 11 AC 8385 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2) बीएनएस) थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- 01 HF डीलक्स मोटरसाइकिल न० UP 20 BX 7583 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 275/25 धारा 303(2) बीएनएस) थाना-सिडकुल जिला हरिद्वार, उत्तराखंड
- 01 मोटर साईकिल हीरो स्पेलेण्डर प्लस न0 UP 11 BS 3912 के पुर्जे (सम्बन्धित मु०अ०सं० 364/2025 धारा 303(2) बीएनएस) थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मनेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है०का० कपिल कुमार 660 थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. है०का0 547 पंकज कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. है०का० अनुज कुमार 357 थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. का० हिमांशु कुमार 283 थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. का0 243 रोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर

.

-प्रेस नोट-

दिनांकः-10-08-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल,सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 10-08-2025 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण वारण्टी 1.**मेहरबान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0सं0 243/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नागल जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज गैगस्टर एक्ट 2.**गुल्लू उर्फ गुलबहार पुत्र शकूर निवासी नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1164/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना नांगल जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान जे0एम देवबन्द सहारनपुर को अभियुक्तगणो के निवास स्थानो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मेहरबान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी पाण्डौली थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. गुल्लू उर्फ गुलबहार पुत्र शकूर निवासी नन्हेडा बुड्ढाखेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 1802 बिट्टु कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:10.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव,सहारनपुर पुलिस द्वारा नलकूपो से उपकरण चोरी करने वाले 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 7.5 किलो ताबे का तार,केबिल व स्टार्टर बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.06.2025 को ग्राम सादपुर मे अज्ञात चोरो द्वारा वादी रणवीर सिह पुत्र खचेडू सिह निवासी ग्राम बढेड़ी मजबता थाना बडगाव जनपद सहारनपुर की ट्यूबवैल से ताबे का तार चोरी कर के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 114/2025 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। तथा थाना क्षेत्र मे अन्य किसानो के नलकूपो से उपकरण चोरी करने की घटनाए घटित होने पर भिन्न भिन्न अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओ का सज्ञान लेकर शीघ्र घटनाओ का अनावरण कर गिरफ्तारी/बरामदगी हेतू निर्देशित किया गया। निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.08.2025 को 01अभियुक्त सहेन्द्र पुत्र गोर्वधन निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को रामपुर मनिहारन रोड पर ग्राम रेहडा मोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया सामान 7.5 किलो ताबे का तार,समरसेबल केबिल के 02 टुकडे 03-03 मीटर, 01 टुकडा 06 मीटर, 2 टुकड़े 5.5 मीटर के केबिल व 01 स्टार्टर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमे उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है इसके द्वारा किये गये अन्ये अपराधो के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त सहेन्द्र उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै व मेरे साथी 02 साथी आपस मे मिलकर जगंल से टूबवेलो से केबल व स्टाटर व मोटरो की ताबे की तार चोरी करते है ओर फिर उस माल को चलते फिरते कबाडी को बेच देते है हमने लगभग दो माह पुर्व जगंल ग्राम सादपुर से मोटर को तोडकर ताबे का तार चोरी किया था तथा एक माह पुर्व ननोता वडगाँव रोड पर सतसंग भवन के पास से स्ट्राटर चोरी किया था व हमने लगभग 20 दिन पहले ग्राम टपरी व ग्राम शिमलाना के जगलो से टयूवैल से मोटर के अन्दर से ताबे का तार निकालकर चोरी किया था व हमने लगभग 10-15 दिन पहले ग्राम भटपुरा व ग्राम लुकादडी के जगलो से टयूवैल से मोटर के अन्दर से ताबे का तार चोरी किया था तथा लगभग 15 दिन पहले मैने अकेले जगंल ग्राम मुण्डीखेडी जो मेरे गाँव के पास है उस समरसेबल से केबिल चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

- सहेन्द्र पुत्र गोर्वधन निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 01 स्टार्टर बिजली का सम्बन्धित मु0अ0स0 130/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगाव जनपद सहारनपुर।
- 7.5 किलोग्राम ताबे का तार सम्बन्धित मु0अ0स0 114/2025 धारा 303(2)/324(1)/317(2) बीएऩएस व मु0अ0स0 138/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 136/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस थाना बडगाव जनपद सहारनपुर
- 02 केबिल के टुकडे 5.5-5.5 मीटर सम्बन्धित मु0अ0स0 294/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- 02 केबिल के टुकडे 3-3 मीटर व 01 टुकडा 06 मीटर सम्बन्धित मु0अ0स0 141/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस व मु0अ0स0 136/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस थाना बडगाव जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सहेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0स0 130/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- मु0अ0स0 114/2025 धारा 303(2)/324(1)/317(2) बीएऩएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- मु0अ0स0 138/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- मु0अ0स0 136/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
- मु0अ0स0 294/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- मु0अ0स0 141/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएऩएस थाना बडगाव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

- श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री पंकज मिश्रा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बडगाव जनपद सहारनपुर।
- है0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपु।
- हो0गा0 2077 सतीश थाना बडगाव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:10.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा मन्दिर के दान पात्र से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर /अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2860/- रुपये नगद बरामद

/-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.07.2025 को वादी श्री गोविन्द पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर अज्ञात चोर द्वारा ग्राम हसनपुर भलस्वा मे मन्दिर के दान पात्र का ताला तोडकर करीब 80,000/- रू0 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 126/2025 धारा 305(A) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/डकैती/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व इन घनटाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर चोर/ अभियुक्त **साजिद पुत्र शरीफ निवासी खाताखेड़ी फरमान मस्जिद के पास थाना मण्ड़ी सहारनपुर** को उग्राहू जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।जिसके कब्जे से मन्दिर के दानपात्र से चोरी गये 2860/- रूपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बाताया कि लगभग एक महीना मैंन ग्राम हसनपुर के मन्दिर में स्थित माढ़ी के दान पात्र मे लगभग 9,000/- रुपये चुराये थे।आज जब मैं चोरी करने के इरादे से क्षेत्र में आया था तभी पुलिस ने मुझे पकड लिया और मेरे कब्जे से 2860/- रुपये नगद बरामद किये। मैंने 6140/- रुपये अपना शौक पूरा करने के लिये खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र शरीफ निवासी खाताखेड़ी फरमान मस्जिद के पास थाना मण्ड़ी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 2860/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
3.है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
4.का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लकडी की थपकी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2025 को वादी श्री मुनेश पुत्र मनफूल निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.नीरज पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.हुकम सिंह पुत्र बीरबल निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए वादी के सिर में जान से मारने की नियत से सिर में वार करना जिससे वादी को बेहोशी की हालत में मरा समझ छोडकर मौके से भाग जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 567/25 धारा 115(2)352/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण **1.नीरज पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.हुकम सिंह पुत्र बीरबल निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को खेडा मुगल से सीडकी की ओर जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नीरज उपरोक्त की निंशादेही पर घटना मे प्रयुक्त लकडी की थपकी बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नीरज उपरोक्त ने बताया कि मेरे पिता जी और मुनेश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसमें मुनेश के द्वारा मेरे पिता जी के साथ शराब के नशे में गाली गलौच व मारपीट कर रहा था। इसी बात से क्रोधित होकर मैंने मुनेश के सिर लकड़ी की थपकी से वार कर घायल कर दिया जिसके कारण वह बेहोश हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. नीरज पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. हुकम सिंह पुत्र बीरबल निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

- 01 लकडी की थपकी(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुभाष शर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 नितिन थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 कमल तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 ऋषभ देशवाल थानादेवबंद जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 10.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा आयुध अधिनियम से सम्बन्धित 71 माल व 08 अन्य मुकदमाती मालो को माननीय न्यायालय के आदेश से नष्ट किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थानों पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन क्लीन" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश दिनाकं 09.04.2025 के अनुपालन में श्रीमान नायब तहसीलदार श्री देवेन्द्र कुमार तहसील बेहट सहारनपुर की अध्यक्षता में श्रीमान मुनीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट, श्री राजीव कुमार अभियोजन अधिकारी न्यायालय सहारनपुर व श्री अक्षय शर्मा थानाध्यक्ष बिहारीगढ व सम्मानित व्यक्ति श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी कस्बा बिहारीगढ की उपस्थिति मे थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.08.2025 को **आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शस्त्र के मुकदमों मे बरामद कुल 25 अवैध तमंचे व 45 छूरी व 01 राईफल 0.22 बोर व 08 अन्य मालो** को लौहार द्वारा छेनी हथौडे से तुडवाकर नष्ट किया गया।

विनिष्टिकरण का विवरण –

- 25 अवैध तमंचे 315 बोर
- 45 छूरी
- 01 राईफल 0.22 बोर
- 08 अन्य माल

निस्तारण हेतु गठित टीम सदस्यो के नाम-

1. श्री मुनीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट जिला सहारनपुर
2. श्री देवेन्द्र कुमार नायब तहसीलदार तहसील बेहट जिला सहारनपुर
3. श्री राजीव कुमार अभियोजन अधिकारी सदर न्यायालय सहारनपुर
4. श्री अक्षय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
5. है0मो0 386 टेकचन्द थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
6. अश्वनी कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी कस्बा व थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।